रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082020-221089
CG-DL-E-13082020-221089

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2439] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2020/श्रावण 22, 1942
No. 2439] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2020/SRAVANA 22, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2020

का.आ. 2745(अ).— केंद्रीय सरकार आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. सं. 3264(अ) तारीख 12 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, ई-निर्धारण स्कीम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त स्कीम में, -

(1) पैरा 1 के उप-पैरा (1) में, "ई-निर्धारण" शब्द के स्थान पर "चेहरा रहित निर्धारण" शब्द रखे जाएंगे;

(2) पैरा 2 के उप-पैरा (1) में, --

(i) खंड (iii) में "धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् " या धारा 144" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (xxiii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(xxiii(a))" "नियम" से आयकर नियम 1962 अभिप्रेत है।

(iii) खंड (xxiii) को खंड (xxv) के रुप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा ।

(3) पैरा (4) में, --

(i) पैरा (1) के खंड (v) में "न्यायलयिक, सूचना प्रोद्योगिकी, मूल्यांकन" शब्दों के पश्चात् "संपरीक्षा" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा; और

(ii) उप-पैरा (3) में, "उप-पैरे" शब्द को "खंडों" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा और "पैरा" शब्द "उप-पैरा" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(4) पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**5. निर्धारण के लिए प्रक्रिया** – (1) इस स्कीम के अधीन निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र धारा 143 की उप-धारा (2) के अधीन निर्धारिती पर एक सूचना तामील करेगा जिसमें निर्धारण के लिए उसके मामले के चयन के लिए मुद्दे विनिर्दिष्ट होंगे;

(ii) निर्धारिती खंड (i) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र के पास अपना उत्तर फाइल करेगा;

(iii) जहां निर्धारिती ने –

(क) धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 की उप-धारा (1) के अधीन जारी सूचना के उत्तर में अपनी आय की विवरणी फाइल प्रस्तुत कर दी है और धारा 143 की उप-धारा (2) के अधीन सूचना, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या विहित आयकर प्राधिकारी द्वारा जारी कर दी गई है; या

(ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना के उत्तर में अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या

(ग) धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है और निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी कर दी गई है;

वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारिती को सूचित करेगा कि उसके मामले में निर्धारण इस स्कीम के अधीन पूरा किया जाएगा ।

(iv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी भी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र में विनिर्दिष्ट निर्धारण यूनिट को इस स्कीम के अधीन ई-निर्धारण के प्रयोजनों के लिए चयन किए गए मामले को समनुदेशित करेगा;

(v) जहां कोई मामला निर्धारण यूनिट को समनुदेशित किया जाता है वहां वह राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र से निम्नलिखित के लिए अनुरोध कर सकेगा –

(क) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या साक्षय प्राप्त करना जो वह विनिर्दिष्ट करे;

(ख) सत्यापन यूनिट द्वारा कतिपय जांच कराना या सत्यापन कराना; और

(ग) तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता प्राप्त करना;

(vi) जहां निर्धारिती से या किसी अन्य व्यक्ति से अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या साक्षय प्राप्त करने के लिए अनुरोध निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारण यूनिट द्वारा अध्यपेक्षित जानकारी, दस्तावेज या साक्षय प्राप्त करने के लिए निर्धारिती को या किसी अन्य व्यक्ति को समुचित सूचना या मांग जारी करेगा;

(vii) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति, खंड (vi) में निर्दिष्ट सूचना के प्रति अपना उत्तर उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर जो इस संबंध में आवेदन के आधार पर बढ़ाया जा सके, राष्ट्रीय ई-निर्धारण के पास फाइल करेगा;

(viii) जहां सत्यापन यूनिट द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन करवाने के लिए कोई अनुरोध निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है वहां अनुरोध स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से, किसी भी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में कोई राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र द्वारा सत्यापन यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा;

(ix) जहां तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता की मांग करने के लिए अनुरोध निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां अनुरोध स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से, किसी भी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में राष्ट्रीय ई-निर्धारित यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा;

(x) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, संबंध निर्धारण यूनिट से खंड (viii) या खंड (ix) में निर्दिष्ट अनुरोध पर आधारित सत्यापन यूनिट या तकनीकी यूनिट से प्राप्त की गई रिपोर्ट को भेजेगा;

(xi) जहां निर्धारिती राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, धारा 142 के खंड (vi) में निर्दिष्ट सूचना या उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना अथवा धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन जारी किए गए निदेश का पालन करने मे असमर्थ रहता है वहां सूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को और समय पर हेतुक दर्शित करने के लिए उसे एक अवसर देते हुए धारा 144 के अधीन ऐसा निर्धारिती को एक सूचना तामील करेगा कि उसे मामले मे निर्धारण उसकी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार क्यों न पूरा किया जाए;

(xii) निर्धारिती खंड (xi) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे समय, जो इस निमित आवेदन के आधार पर विस्तारित की जा सके, राष्ट्रीय ई- निर्धारण केन्द्र को जवाब फाइल करेगा;

(xiii) जहां निर्धारिती सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या विस्तारित समय के भीतर, यदि कोई हो, खंड (xi) में निर्दिष्ट सूचना का उत्तर फाइल करने में असफल रहता है वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, निर्धारण यूनिट के ऐसी असफलता की सूचना देगा;

(xiv) निर्धारण यूनिट, अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, या ऐसी दशा में, जहां खंड (xiii) में निर्दिष्ट सूचना राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र से उसकी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार लिखित रूप में एक प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ है, तो निर्धारिती की वापस की गई आय को स्वीकार करते हुए या निर्धारिती की वापस की गई आय को उपांतरित करते हुए, प्रारूप निर्धारण आदेश करेगी और ऐसे आदेश की प्रति राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को प्रेषित करेगी;

(xv) निर्धारण यूनिट, प्रारूप निर्धारण आदेश करते समय, उसमें आरंभ की जाने वाली शास्ति कार्यवाहियों के ब्यौरे, यदि कोई हों, उपलब्ध कराएगी;

(xvi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम प्रबंध कारबार नीति के अनुसार, प्रारूप निर्धारण आदेश की समीक्षा करेगी जिसमें स्वचालित समीक्षाक्षा साधन के माध्यम से की गई समीक्षा भी सम्मिलित है जिसके परिणामस्वरूप यह निम्नलिखित का विनिश्चय कर सकेगी,-

(क) प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार, निर्धारण को अंतिम रूप देना और निर्धारिती को, ऐसे निर्धारण के आधार पर, निर्धारिती को संदेय राशि या उसको शोध्य किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए, निर्धारिती को मांग सूचना के साथ, शास्ति कार्यवाहियों, यदि कोई हों, को आरंभ करने के लिए ऐसे आदेश और सूचना की एक प्रति तामील करना ; या

(ख) निर्धारिती को अवसर प्रदान करना, यदि उपांतरण उससे यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि निर्धारण, प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार क्यों नहीं पूरा किया जाना चाहिए, सूचना तामील करके प्रस्तावित किया जाता है ; या

(ग) ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए, स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से, किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में पुनर्विलोकन यूनिट को प्रारूप निर्धारण आदेश समनुदेशित करना ।

(xvii) पुनर्विलोकन यूनिट, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा उसे निर्दिष्ट प्रारूप निर्धारण आदेश का पुनर्विलोकन करेगी जिसके परिणामस्वरूप वह,-

(क) प्रारूप निर्धारण आदेश से सहमत होने और ऐसी सहमति के बारे में राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को सूचित करने का विनिश्चय कर सकेगी ; या

(ख) प्रारूप निर्धारण आदेश में ऐसा उपांतरण, जो वह ठीक समझे, का सुझाव देने का और राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अपने सुझाव भेजने का विनिश्चय कर सकेगी ;

(xviii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनर्विलोकन यूनिट की सहमति प्राप्त हो जाने पर, पैरा (xvi) के, यथास्थिति, उपपैरा (क) या उपपैरा (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा;

(xix) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनर्विलोकन यूनिट से उपांतरणों के लिए, सुझाव प्राप्त हो जाने पर, प्रारूप निर्धारण आदेश स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से एक अन्य निर्धारण यूनिट को समनुदेशित करेगा;

(xx) निर्धारण यूनिट, पुनर्विलोकन यूनिट द्वारा सुझाव दिए गए उपांतरण पर विचार करने के पश्चात्, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश भेजेगा;

(xxi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश के प्राप्त हो जाने पर, पैरा (xvi) के, यथास्थिति, उपपैरा (क) या उपपैरा (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा;

(xxii) उस दशा में, जहां पैरा (xvi) के उपपैरा (ख) के अधीन कारण बताओ सूचना, उस पर तामील कर दी गई है, वहां निर्धारिती, सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को और समय पर या उससे पहले या विस्तारित समय के भीतर यदि कोई हो राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकेगा;

(xxiii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र,-

(क) उस दशा में, जहां कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, वहां पैरा (xvi) के उपपैरा (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार, निर्धारण को अंतिम रूप देगा; या

(ख) किसी अन्य मामले में, निर्धारिती से प्राप्त उत्तर को निर्धारण यूनिट को भेजेगा;

(xxiv) निर्धारण यूनिट, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के पश्चात्, पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश करेगा और उसे राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को भेजेगा;

(xxv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर,-

(क) निर्धारिती के हित में प्रारूप निर्धारण आदेश को निर्दिष्ट करते हुए किसी प्रतिकूल उपांतरण का प्रस्ताव नहीं किया गया है, खंड (xvi) के उपखंड (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देगा ; या

(ख) यदि निर्धारिती के हित में प्रारूप निर्धारण आदेश को निर्दिष्ट करते हुए किसी प्रतिकूल उपांतरण का प्रस्ताव किया गया है, निर्धारिती को खंड (xvi) के उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारिती को अवसर प्रदान किया जाएगा ; या

(ग) निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर से खंड (xxii), खंड (xxiii) और खंड (xxiv) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार व्यौहार करेगा ;

(xxvi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारण पूरा होने के पश्चात् मामले के सभी इलैक्ट्रानिक अभिलेखों को उक्त मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए अंतरित करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो;

(2) उप पैरा-(1) में किसी बात के होते हुए भी, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र का भार साधन, यदि आवश्यक हो, निर्धारण के किसी भी स्तर पर, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से ऐसे मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को मामला अन्तरित कर सकता है ।"

(5) पैरा 6 में,उपपैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा,अर्थात् –

"(5) राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र शास्ति के उक्त प्रारुप आदेश के अनुसार उद्ग्रहीत करेगा तथा, यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को मांग नोटिस के साथ उसकी एक प्रति तामील करेगा और तत्पश्चात् अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित उक्त मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को शास्ति कार्यवाहियों के इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख अंतरित करेगा ।"

(6) पैरा 7 में, शब्दों के पश्चात्, "आदेश या शास्ति आदेश" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(7) पैरा 8 और 9 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"**8. अनन्ये रुप से इलैक्ट्रॉनिक ढंग से संसूचना का विनिमय –**

(1) इस योजना के उद्देश्यों के लिए:-

(क) राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र और निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, या अन्य व्यक्ति के बीच सभी संसूचनाऐं अनन्ये रुप से इलैक्ट्रॉनिक ढंग से ही विनिमय की जाएंगी ; और राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र, क्षेत्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र तथा विभिन्न यूनिटों के बीच सभी आंतरिक संसूचनाऐं अनन्ये रुप से इलैक्ट्रॉनिक ढंग से ही विनिमय की जाएंगी ;

(2) उपपैरा (1) के उपबंध, पैरा 12 के खंड (via) में निर्दिष्ट पूछताछ या सत्यापन हेतु लागू नहीं होंगे ।

9. <u>इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन</u>

इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा:-

(i) राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र द्वारा इसके डिजिटल हस्ताक्षर करके, और

(ii) निर्धारिती या अन्य व्यक्ति द्वारा इसके डिजिटल हस्ताक्षर करके, यदि उससे नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अपनी विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित हो और किसी अन्य मामले में उसके डिजिटल हस्ताक्षरकरके या करक या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कूट के अधीन ;

स्पष्टीकरण – इस पैरा के प्रयोजन के लिए, "इलैक्टॉनिक सत्यापन कूट" का वही अर्थ होगा जो उसका नियमों के नियम 12 में है ।"

(8) पैरा (11) में, -

(i) उपपैरा (2) और (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा रखे जाएंगे, अर्थात :-

"(2) उस मामले में जहां प्रारुप मूल्यांकन आदेश में संशोधन प्रस्तावित है और निर्धारिती को नोटिस तामील करके कारण दर्शित करने का एक अवसर प्रदान किया जाता है कि मूल्यांकन ऐसे प्रारुप निर्धारण आदेश के अनुसार पूर्ण क्यों नहीं किया जाना चाहिए, तो, यथास्थिति, निर्धारिती या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निवेदन कर सकेगा जिससे वह इस स्कीम के अधीन किसी इकाई में आय-कर प्राधिकारी के समक्ष अपना मौखिक उत्तर दे सके या अपना मामला प्रस्तुत कर सके ;

(3) यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र का प्रभारी प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक अथवा क्षेत्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र का प्रभारी मुख्य आयुक्त या महानिदेशक जिसके अधीन संबंधित इकाई गठित की गई हो , अनुमोदन कर सकता है।

(2) में निर्दिष्ट व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आवेदन को अनुमोदित कर सकेगा यदि उसकी यह राय है कि आवेदन पैरा 12 के खंड (vib) निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत आता है;

(3क) जहां, यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र के भार साधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक अथवा क्षेत्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र के भार साधक मुख्य आयुक्त या महानिदेशक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आवेदन अनुमोदित कर दिया जाता है, तो ऐसी सुनवाई बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार अनन्य रुप से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसके अंतर्गत किसी दूरसंचार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी है जो वीडियो टेलीफोनी संमरक हो;

(3ख) पैरा 8 के उपपैरा (2) के अधीन रहते हुए, (अधिनियम की धारा 133 क के अधीन सर्वेक्षण के दौरान अभिलेखबध्द कथन से भिन्न) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के कथन की कोई परीक्षा या अभिलेखन इस स्कीम के अधीन किसी यूनिट में बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार आय-कर प्राधिकारी द्वारा अनन्य रुप से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसके अंतर्गत किसी दूरसंचार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी है, जो वीडियो टेलीफोनी संभरक हो."

(9) पैरा 12 में, -

(i) उपपैरा (1) की संख्या का लोप किया जाएगा; और

(ii) इस प्रकार पुन:संख्यांकित पैरा में :-

अ. "राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र का भार साधक" शब्दों के पूर्व "बोर्ड के अनुमोदन से" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ; और

आ. खंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात :-

(via) वे परिस्थितियां जिनमें पैरा 8 के उप पैरा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे ;

(vib) वे परिस्थितियां जिनमें पैरा 11 के उपपैरा (3) में निर्दिष्ट व्यक्तिगत सुनवाई अनुमोदित की जाएगी;"

(10) हिन्दी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं.-60/2020/फा.सं.370149/154/2019-टी.पी.एल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का. आ. 3264(अ), तारीख 12 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।